



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

फोन 07752-220031, फैक्स 07752-260294 ई-मेल registrar@bilaspuruniversity.ac.in
वेबसाइट www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 2063 / अका. / 2017

बिलासपुर दिनांक 25/08/2017

प्रति,

अध्यक्ष, शासी,
डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय,
बिलासपुर, जिला-बिलासपुर(छ.ग.)

विषय:- परिनियम-28 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय में नियुक्ति करने विषयक।

- संदर्भ:-1. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र. 178/स्था.प्रशा./2012, दिनांक 24.08.2012, पत्र क्र.133 / अका./2013, दिनांक 20.04.2013, पत्र क्र. 257/अका./2014, दिनांक 15.02.2014, पत्रक्र. 380/अका./2017, दिनांक 22.03.2014, पत्र क्र. 2017/अका./ 2015, दिनांक 12.05. 2015 एवं पत्र क्र.1387/अका./2017, बिलासपुर दिनांक 21.04.2017।
2. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र.1616/अका./2017, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्र क्र.1189/ अका./2017, दिनांक 16.06.2017।
3. विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक-1310/अका./2017 बिलासपुर, दिनांक 27-07-2017.

---00---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके महाविद्यालय को बार-बार सूचित करने के बावजूद भी परिनियम-28 के प्रावधानानुसार प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराया गया। इस प्रकार की कृत्य शासन/एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय आदेश/निर्देशों के साथ ही सम्बद्धता की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।


2/ विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 27/06/2017 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28/06/2017 में की गई अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों के विरुद्ध, प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2018 में प्रथम वर्ष के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की भी अनुशंसा की गई है। इस निर्णय से संदर्भित पत्र क्रमांक-03 के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है।

अतः विद्यापरिषद्/कार्यपरिषद् के उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आपके महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत संचालित बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की सम्बद्धता पर सत्र 2018-19 से रोक लगाते हुये छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

---2---

यदि बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के सत्र 2018-2019 में आपके महाविद्यालय में संचालित बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय उन छात्र-छात्राओं की परीक्षा नहीं लेगा तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले वैधानिक कठिनाइयों की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,


(डॉ. इन्दु अनन्त)


कुलसचिव


पृ.क्र./ 2070 / अका. / 2017

बिलासपुर, दिनांक 25/08/2017

प्रतिलिपि:-

01. माननीय के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, विंग-2 हंस भवन, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक कुलसचिव(अका.)



क्रमांक 2071/अका./2017

बिलासपुर दिनांक 25/08/2017

प्रति,

अध्यक्ष, शासी,
डी.एल.एस.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सरकण्डा, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर(छ.ग.)

विषय:- परिनियम-28 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय में नियुक्ति करने विषयक।

- संदर्भ:-1. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र. 178/स्था.प्रशा./2012, दिनांक 24.08.2012, पत्र क्र.133 / अका./2013, दिनांक 20.04.2013, पत्र क्र. 257/अका./2014, दिनांक 15.02.2014, पत्र क्र. 380/अका./2017, दिनांक 22.03.2014, पत्र क्र. 2017/अका./ 2015, दिनांक 12.05. 2015 एवं पत्र क्र.1387/अका./2017, बिलासपुर दिनांक 21.04.2017।
2. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र.1616/अका./2017, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्र क्र.1189/ अका./2017, दिनांक 16.06.2017।
3. विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक-1314/अका./2017 बिलासपुर, दिनांक 28-07-2017.

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके महाविद्यालय को बार-बार सूचित करने के बावजूद भी परिनियम-28 के प्रावधानानुसार प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराया गया। इस प्रकार की कृत्य शासन/एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय आदेश/निर्देशों के साथ ही सम्बद्धता की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।


2/ विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27/06/2017 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28/06/2017 में की गई अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों के विरुद्ध, प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2018 में प्रथम वर्ष के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की भी अनुशंसा की गई है। इस निर्णय से संदर्भित पत्र क्रमांक-03 के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है।

अतः विद्यापरिषद्/कार्यपरिषद् के उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आपके महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की सम्बद्धता पर सत्र 2018-19 से रोक लगाते हुये छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

—2—

यदि बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के सत्र 2018-2019 में आपके महाविद्यालय में संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय उन छात्र-छात्राओं की परीक्षा नहीं लेगा तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले वैधानिक कठिनाइयों की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,


(डॉ. अनन्त)


कुलसचिव

पृ.क्र. / 2072 / अका. / 2017

बिलासपुर, दिनांक 25/08/2017

प्रतिलिपि:-

01. माननीय के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, विंग-2 हंस भवन, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक कुलसचिव(अका.)



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

फोन 07752-220031 फैक्स 07752-260294 ई-मेल registrar@bilaspuruniversity.ac.in
वेबसाइट www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 2073 / अका. / 2017

बिलासपुर दिनांक 25/08/2017

प्रति,

अध्यक्ष, शासी,
उत्कर्ष शिक्षा महाविद्यालय,
नैला रोड़, सरखो, जांजगीर,
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विषय:- परिनियम-28 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय में नियुक्ति करने विषयक।

- संदर्भ:-1. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र. 178/स्था.प्रशा./2012, दिनांक 24.08.2012, पत्र क्र.133 / अका./2013, दिनांक 20.04.2013, पत्र क्र. 257/अका./2014, दिनांक 15.02.2014, पत्र क्र. 380/अका./2017, दिनांक 22.03.2014, पत्र क्र. 2017/अका./2015, दिनांक 12.05.2015 एवं पत्र क्र.1387/अका./2017, बिलासपुर दिनांक 21.04.2017।
2. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र.1616/अका./2017, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्र क्र.1189/अका./2017, दिनांक 16.06.2017।
3. विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक-1318/अका./2017 बिलासपुर, दिनांक 28-07-2017.

---00---


विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके महाविद्यालय को बार-बार सूचित करने के बावजूद भी परिनियम-28 के प्रावधानानुसार प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराया गया। इस प्रकार की कृत्य शासन/एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय आदेश/निर्देशों के साथ ही सम्बद्धता की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

2/ विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27/06/2017 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28/06/2017 में की गई अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों के विरुद्ध, प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2018 में प्रथम वर्ष के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की भी अनुशंसा की गई है। इस निर्णय से संदर्भित पत्र क्रमांक-03 के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है।

अतः विद्यापरिषद्/कार्यपरिषद् के उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आपके महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की सम्बद्धता पर सत्र 2018-19 से रोक लगाते हुये छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

यदि बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के सत्र 2018-2019 में आपके महाविद्यालय में संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय उन छात्र-छात्राओं की परीक्षा नहीं लेगा तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले वैधानिक कठिनाइयों की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,


(ज.इ.न्द् अन्त)


कुलसचिव

पृ.क्र. / 2074 / अका. / 2017

बिलासपुर, दिनांक 25/08/2017

प्रतिलिपि:-

01. माननीय के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, विंग-2 हंस भवन, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक कुलसचिव(अका.)



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.), 495001
फोन : 07752-220031, फैक्स 07752-260294 ई-मेल registrar@bilaspuruniversity.ac.in
वेबसाइट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 2075/अका./2017

बिलासपुर दिनांक 25/08/2017

प्रति,

अध्यक्ष, शासी,
जे.ई.एस.कॉलेज आफ एजुकेशन,
फरहदा, बिलासपुर,
जिला-बिलासपुर(छ.ग.)

विषय:- परिनियम-28 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय में नियुक्ति करने विषयक।

- संदर्भ:-1. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र. 178/स्था.प्रशा./2012, दिनांक 24.08.2012, पत्र क्र.133 / अका./2013, दिनांक 20.04.2013, पत्र क्र. 257/अका./2014, दिनांक 15.02.2014, पत्रक्र. 380/अका./2017, दिनांक 22.03.2014, पत्र क्र. 2017/अका./ 2015, दिनांक 12.05. 2015 एवं पत्र क्र.1387/अका./2017, बिलासपुर दिनांक 21.04.2017।
2. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र.1616/अका./2017, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्र क्र.1189/ अका./2017, दिनांक 16.06.2017।
3. विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक-1312/अका./2017 बिलासपुर, दिनांक 28-07-2017.

---00---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके महाविद्यालय को बार-बार सूचित करने के बावजूद भी परिनियम-28 के प्रावधानानुसार प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराया गया। इस प्रकार की कृत्य शासन/एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय आदेश/निर्देशों के साथ ही सम्बद्धता की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

2/ विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27/06/2017 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28/06/2017 में की गई अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों के विरुद्ध, प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2018 में प्रथम वर्ष के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की भी अनुशंसा की गई है। इस निर्णय से संदर्भित पत्र क्रमांक-03 के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है।

अतः विद्यापरिषद्/कार्यपरिषद् के उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आपके महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की सम्बद्धता पर सत्र 2018-19 से रोक लगाते हुये छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

---2---

यदि बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के सत्र 2018-2019 में आपके महाविद्यालय में संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय उन छात्र-छात्राओं की परीक्षा नहीं लेगा तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले वैधानिक कठिनाइयों की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,


(डॉ. इन्दु अनन्त)


कुलसचिव

पृ.क्र. / 2076 / अका. / 2017

विलासपुर, दिनांक 25/08/2017

प्रतिलिपि:—

01. माननीय के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, विंग-2 हंस भवन, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक कुलसचिव(अका.)



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001.
फोन 07752-220031 फैक्स 07752-260294 ई-मेल registrar@bilaspuruniversity.ac.in.
वेबसाइट www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 2077 / अका. / 2017

बिलासपुर दिनांक 25/08/2017

प्रति,

अध्यक्ष, शासी,
पं.मदन मोहन मालवीय शिक्षा महाविद्यालय,
लावर, दर्सीघाट बिलासपुर,
जिला-बिलासपुर(छ.ग.)

विषय:- परिनियम-28 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय में नियुक्ति करने विषयक।

- संदर्भ:-1. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र. 178/स्था.प्रशा./2012, दिनांक 24.08.2012, पत्र क्र.133 / अका./2013, दिनांक 20.04.2013, पत्र क्र. 257/अका./2014, दिनांक 15.02.2014, पत्र क्र. 380/अका./2017, दिनांक 22.03.2014, पत्र क्र. 2017/अका./ 2015, दिनांक 12.05. 2015 एवं पत्र क्र.1387/अका./2017, बिलासपुर दिनांक 21.04.2017।
2. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र.1616/अका./2017, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्र क्र.1189/ अका./2017, दिनांक 16.06.2017।
3. विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक-1316/अका./2017 बिलासपुर, दिनांक 28-07-2017.

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके महाविद्यालय को बार-बार सूचित करने के बावजूद भी परिनियम-28 के प्रावधानानुसार प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराया गया। इस प्रकार की कृत्य शासन/एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय आदेश/निर्देशों के साथ ही सम्बद्धता की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।


2/ विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27/06/2017 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28/06/2017 में की गई अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों के विरुद्ध, प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2018 में प्रथम वर्ष के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की भी अनुशंसा की गई है। इस निर्णय से संदर्भित पत्र क्रमांक-03 के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है।

अतः विद्यापरिषद्/कार्यपरिषद् के उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आपके महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की सम्बद्धता पर सत्र 2018-19 से रोक लगाते हुये छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

—2—

यदि बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के सत्र 2018-2019 में आपके महाविद्यालय में संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय उन छात्र-छात्राओं की परीक्षा नहीं लेगा तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले वैधानिक कठिनाइयों की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,


(डॉ. इन्दु अनन्त)


कुलसचिव


पृ.क्र./ 2078 / अका. / 2017 .

बिलासपुर, दिनांक 25/08/2017

प्रतिलिपि:-

01. माननीय के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, विंग-2 हंस भवन, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर (छ.प्र.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक कुलसचिव(अका.)



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.), 495001.
फोन 07752-220031, फैक्स 07752-260294, ई-मेल registrar@bilaspuruniversity.ac.in
वेबसाइट www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 2079 / अका. / 2017

बिलासपुर दिनांक 25/08/2017

प्रति,

अध्यक्ष, शासी,
केशरी शिक्षण समिति,
खोखरा, जांजगीर,
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विषय:- परिनियम-28 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय में नियुक्ति करने विषयक।

- संदर्भ:-1. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र. 178/स्था.प्रशा./2012, दिनांक 24.08.2012, पत्र क्र.133 / अका./2013, दिनांक 20.04.2013, पत्र क्र. 257/अका./2014, दिनांक 15.02.2014, पत्र क्र. 380/अका./2017, दिनांक 22.03.2014, पत्र क्र. 2017/अका./ 2015, दिनांक 12.05. 2015 एवं पत्र क्र.1387/अका./2017, बिलासपुर दिनांक 21.04.2017।
2. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र.1616/अका./2017, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्र क्र.1189/ अका./2017, दिनांक 16.06.2017।
3. विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक-1320/अका./2017 बिलासपुर, दिनांक 28-07-2017.

---00---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके महाविद्यालय को बार-बार सूचित करने के बावजूद भी परिनियम-28 के प्रावधानानुसार प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराया गया। इस प्रकार की कृत्य शासन/एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय आदेश/निर्देशों के साथ ही सम्बद्धता की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।


2/ विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27/06/2017 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28/06/2017 में की गई अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों के विरुद्ध, प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2018 में प्रथम वर्ष के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की भी अनुशंसा की गई है। इस निर्णय से संदर्भित पत्र क्रमांक-03 के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है।

अतः विद्यापरिषद्/कार्यपरिषद् के उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आपके महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की सम्बद्धता पर सत्र 2018-19 से रोक लगाते हुये छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

---2---

यदि बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के सत्र 2018-2019 में आपके महाविद्यालय में संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय उन छात्र-छात्राओं की परीक्षा नहीं लेगा तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले वैधानिक कठिनाइयों की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,


(डॉ. इन्दु अनन्त)


कुलसचिव


पृ.क्र. / 2080 / अका. / 2017

बिलासपुर, दिनांक 25/08/2017

प्रतिलिपि:-

01. माननीय के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, विंग-2 हंस भवन, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक कुलसचिव(अका.)



क्रमांक 2081 / अका. / 2017

बिलासपुर दिनांक 25/08/2017

प्रति,

अध्यक्ष, शासी,
श्री सिद्धपीठ महामाया शिक्षा महाविद्यालय,
बिलासपुर, जिला-बिलासपुर(छ.ग.)

विषय:- परिनियम-28 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय में नियुक्ति करने विषयक।

- संदर्भ:-1. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र. 178/स्था.प्रशा./2012, दिनांक 24.08.2012, पत्र क्र.133 / अका./2013, दिनांक 20.04.2013, पत्र क्र. 257/अका./2014, दिनांक 15.02.2014, पत्रक्र. 380/अका./2017, दिनांक 22.03.2014, पत्र क्र. 2017/अका./ 2015, दिनांक 12.05. 2015 एवं पत्र क्र.1387/अका./2017, बिलासपुर दिनांक 21.04.2017।
2. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र.1616/अका./2017, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्र क्र.1189/ अका./2017, दिनांक 16.06.2017।
3. विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक-1350/अका./2017 बिलासपुर, दिनांक 04-08-2017.

---00---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके महाविद्यालय को बार-बार सूचित करने के बावजूद भी परिनियम-28 के प्रावधानानुसार प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराया गया। इस प्रकार की कृत्य शासन/एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय आदेश/निर्देशों के साथ ही सम्बद्धता की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

2/ विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 27/06/2017 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28/06/2017 में की गई अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों के विरुद्ध, प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2018 में प्रथम वर्ष के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की भी अनुशंसा की गई है। इस निर्णय से संदर्भित पत्र क्रमांक-03 के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है।

अतः विद्यापरिषद/कार्यपरिषद के उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आपके महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की सम्बद्धता पर सत्र 2018-19 से रोक लगाते हुये छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

---2---

यदि बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के सत्र 2018-2019 में आपके महाविद्यालय में संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय उन छात्र-छात्राओं की परीक्षा नहीं लेगा तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले वैधानिक कठिनाइयों की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,


(डॉ. इन्दु अनन्त)


कुलसचिव


पृ.क्र. / 2082 / अका. / 2017

बिलासपुर, दिनांक 25/08/2017

प्रतिलिपि:—

01. माननीय के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, विंग-2 हंस भवन, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक कुलसचिव(अका.)



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाइकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.), 495001
फोन 07752-220031 फेक्स 07752-260294 ई-मेल registrar@bilaspuruniversity.ac.in
वेबसाइट www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 2083 / अका. / 2017

बिलासपुर दिनांक 25/08/2017

प्रति,

अध्यक्ष, शासी,
एस.एस. कॉलेज आफ एजुकेशन,
सारबहरा (पेन्द्रारोड), जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- परिनियम-28 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय में नियुक्ति करने विषयक।

- संदर्भ:-1. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र. 178 / स्था.प्रशा. / 2012, दिनांक 24.08.2012, पत्र क्र.133 / अका. / 2013, दिनांक 20.04.2013, पत्र क्र. 257 / अका. / 2014, दिनांक 15.02.2014, पत्र क्र. 380 / अका. / 2017, दिनांक 22.03.2014, पत्र क्र. 2017 / अका. / 2015, दिनांक 12.05.2015 एवं पत्र क्र.1387 / अका. / 2017, बिलासपुर दिनांक 21.04.2017।
2. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र.1616 / अका. / 2017, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्र क्र.1189 / अका. / 2017, दिनांक 16.06.2017।
3. विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक-1348 / अका. / 2017 बिलासपुर, दिनांक 04-08-2017.

---00---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके महाविद्यालय को बार-बार सूचित करने के बावजूद भी परिनियम-28 के प्रावधानानुसार प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराया गया। इस प्रकार की कृत्य शासन/एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय आदेश/निर्देशों के साथ ही सम्बद्धता की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।


2/ विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27/06/2017 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28/06/2017 में की गई अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों के विरुद्ध, प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2018 में प्रथम वर्ष के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की भी अनुशंसा की गई है। इस निर्णय से संदर्भित पत्र क्रमांक-03 के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है।

अतः विद्यापरिषद्/कार्यपरिषद् के उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आपके महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की सम्बद्धता पर सत्र 2018-19 से रोक लगाते हुये छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

---2---

यदि बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के सत्र 2018-2019 में आपके महाविद्यालय में संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय उन छात्र-छात्राओं की परीक्षा नहीं लेगा तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले वैधानिक कठिनाइयों की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,


(डॉ. अनन्त)


कुलसचिव

पृ.क्र./2084/अका./2017

बिलासपुर, दिनांक 25/08/2017

प्रतिलिपि:—

01. माननीय के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, विंग-2 हंस भवन, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक कुलसचिव(अका.)



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001.
फोन 07752-220031 फेक्स 07752-260294 ई-मेल registrar@bilaspuruniversity.ac.in
वेबसाइट www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 2085 / अका. / 2017

बिलासपुर दिनांक 25/08/2017

प्रति,

अध्यक्ष, शासी,
सोनकर कॉलेज, बुंदेली, (मुंगेली)
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

विषय:- परिनियम-28 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय में नियुक्ति करने विषयक।

- संदर्भ:-1. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र. 178 / स्था.प्रशा. / 2012, दिनांक 24.08.2012, पत्र क्र.133 / अका. / 2013, दिनांक 20.04.2013, पत्र क्र. 257 / अका. / 2014, दिनांक 15.02.2014, पत्र क्र. 380 / अका. / 2017, दिनांक 22.03.2014, पत्र क्र. 2017 / अका. / 2015, दिनांक 12.05.2015 एवं पत्र क्र.1387 / अका. / 2017, बिलासपुर दिनांक 21.04.2017।
2. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र.1616 / अका. / 2017, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्र क्र.1189 / अका. / 2017, दिनांक 16.06.2017।
3. विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक-1346 / अका. / 2017 बिलासपुर, दिनांक 04-08-2017.

---00---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके महाविद्यालय को बार-बार सूचित करने के बावजूद भी परिनियम-28 के प्रावधानानुसार प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराया गया। इस प्रकार की कृत्य शासन/एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय आदेश/निर्देशों के साथ ही सम्बद्धता की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

2/ विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27/06/2017 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28/06/2017 में की गई अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों के विरुद्ध, प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2018 में प्रथम वर्ष के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की भी अनुशंसा की गई है। इस निर्णय से संदर्भित पत्र क्रमांक-03 के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है।


अतः विद्यापरिषद्/कार्यपरिषद् के उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आपके महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की सम्बद्धता पर सत्र 2018-19 से रोक लगाते हुये छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

---2---

8

यादे बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के सत्र 2018-2019 में आपके महाविद्यालय में संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय उन छात्र-छात्राओं की परीक्षा नहीं लेगा तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले वैधानिक कठिनाइयों की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,



(डॉ. इन्दु अनन्त)

कुलसचिव

पृ.क्र. / 2086 / अका. / 2017
प्रतिलिपि:-

बिलासपुर, दिनांक 25/08/2017

01. माननीय के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, विंग-2 हंस भवन, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक कुलसचिव(अका.)



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001.
फोन 07752-220031, फैक्स 07752-260294, ई-मेल registrar@bilaspuruniversity.ac.in,
वेबसाइट www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 2087 / अका. / 2017

बिलासपुर दिनांक 25/08/2017

प्रति,

अध्यक्ष, शासी,
पं. हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय,
जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विषय:- परिनियम-28 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय में नियुक्ति करने विषयक।

- संदर्भ:-1. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र. 178 / स्था.प्रशा. / 2012, दिनांक 24.08.2012, पत्र क्र.133 / अका. / 2013, दिनांक 20.04.2013, पत्र क्र. 257 / अका. / 2014, दिनांक 15.02.2014, पत्र क्र. 380 / अका. / 2017, दिनांक 22.03.2014, पत्र क्र. 2017 / अका. / 2015, दिनांक 12.05.2015 एवं पत्र क्र.1387 / अका. / 2017, बिलासपुर दिनांक 21.04.2017।
2. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र.1616 / अका. / 2017, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्र क्र.1189 / अका. / 2017, दिनांक 16.06.2017।
3. विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक-1344 / अका. / 2017 बिलासपुर, दिनांक 04-08-2017.

---00---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके महाविद्यालय को बार-बार सूचित करने के बावजूद भी परिनियम-28 के प्रावधानानुसार प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराया गया। इस प्रकार की कृत्य शासन/एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय आदेश/निर्देशों के साथ ही सम्बद्धता की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

2/ विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27/06/2017 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28/06/2017 में की गई अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों के विरुद्ध, प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2018 में प्रथम वर्ष के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की भी अनुशंसा की गई है। इस निर्णय से संदर्भित पत्र क्रमांक-03 के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है।


अतः विद्यापरिषद्/कार्यपरिषद् के उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आपके महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की सम्बद्धता पर सत्र 2018-19 से रोक लगाते हुये छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

---2---

8

यदि बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के सत्र 2018-2019 में आपके महाविद्यालय में संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय उन छात्र-छात्राओं की परीक्षा नहीं लेगा तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले वैधानिक कठिनाइयों की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,


(डॉ. इन्दु अनन्त)


कुलसचिव

पृ.क्र./ 2088/अका./2017

बिलासपुर, दिनांक 25/08/2017

प्रतिलिपि:-

01. माननीय के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, विंग-2 हंस भवन, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक कुलसचिव(अका.)



क्रमांक 2031 / अका. / 2017

बिलासपुर दिनांक 25/08/2017

प्रति,

अध्यक्ष, शासी,
राधाकृष्ण शिक्षण समिति,
राछाभांठा, नवागढ़,
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विषय:- परिनियम-28 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय में नियुक्ति करने विषयक।

- संदर्भ:-1. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र. 178/स्था.प्रशा./2012, दिनांक 24.08.2012, पत्र क्र.133 / अका./2013, दिनांक 20.04.2013, पत्र क्र. 257/अका./2014, दिनांक 15.02.2014, पत्रक्र. 380/अका./2017, दिनांक 22.03.2014, पत्र क्र. 2017/अका./ 2015, दिनांक 12.05. 2015 एवं पत्र क्र.1387/अका./2017, बिलासपुर दिनांक 21.04.2017।
2. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र.1616/अका./2017, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्र क्र.1189/ अका./2017, दिनांक 16.06.2017।
3. विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक-1342/अका./2017 बिलासपुर, दिनांक 04-08-2017.

---00---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके महाविद्यालय को बार-बार सूचित करने के बावजूद भी परिनियम-28 के प्रावधानानुसार प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराया गया। इस प्रकार की कृत्य शासन/एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय आदेश/निर्देशों के साथ ही सम्बद्धता की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

2/ विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 27/06/2017 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28/06/2017 में की गई अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों के विरुद्ध, प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2018 में प्रथम वर्ष के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की भी अनुशंसा की गई है। इस निर्णय से संदर्भित पत्र क्रमांक-03 के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है।

अतः विद्यापरिषद्/कार्यपरिषद् के उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आपके महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की सम्बद्धता पर सत्र 2018-19 से रोक लगाते हुये छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

---2---

यदि बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के सत्र 2018-2019 में आपके महाविद्यालय में संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय उन छात्र-छात्राओं की परीक्षा नहीं लेगा तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले वैधानिक कठिनाइयों की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,


(डॉ. इन्दु अनन्त)


कुलसचिव


पृ.क्र./ 2092/अका./2017

बिलासपुर, दिनांक 25/08/2017

प्रतिलिपि:-

01. माननीय के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, विंग-2 हंस भवन, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक कुलसचिव(अका.)



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001
फोन 07752-220031 फेक्स 07752-260294 ई-मेल registrar@bilaspuruniversity.ac.in
वेबसाइट www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 2093 / अका. / 2017

बिलासपुर दिनांक 25/08/2017

प्रति,

अध्यक्ष, शासी,
शिव शक्ति इंस्टीट्यूट,
खोरसी, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विषय:- परिनियम-28 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय में नियुक्ति करने विषयक।

- संदर्भ:-1. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र. 178 / रथा.प्रशा. / 2012, दिनांक 24.08.2012, पत्र क्र.133 / अका. / 2013, दिनांक 20.04.2013, पत्र क्र. 257 / अका. / 2014, दिनांक 15.02.2014, पत्र क्र. 380 / अका. / 2017, दिनांक 22.03.2014, पत्र क्र. 2017 / अका. / 2015, दिनांक 12.05. 2015 एवं पत्र क्र.1387 / अका. / 2017, बिलासपुर दिनांक 21.04.2017।
2. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र.1616 / अका. / 2017, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्र क्र.1189 / अका. / 2017, दिनांक 16.06.2017।
3. विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक-1340 / अका. / 2017 बिलासपुर, दिनांक 04-08-2017.

---00---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके महाविद्यालय को बार-बार सूचित करने के बावजूद भी परिनियम-28 के प्रावधानानुसार प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराया गया। इस प्रकार की कृत्य शासन/एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय आदेश/निर्देशों के साथ ही सम्बद्धता की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।


2/ विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27/06/2017 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28/06/2017 में की गई अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों के विरुद्ध, प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2018 में प्रथम वर्ष के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की भी अनुशंसा की गई है। इस निर्णय से संदर्भित पत्र क्रमांक-03 के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है।

अतः विद्यापरिषद्/कार्यपरिषद् के उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आपके महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की सम्बद्धता पर सत्र 2018-19 से रोक लगाते हुये छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

---2---

यदि बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के सत्र 2018-2019 में आपके महाविद्यालय में संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय उन छात्र-छात्राओं की परीक्षा नहीं लेगा तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले वैधानिक कठिनाइयों की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,


(डॉ. इन्दु अनन्त)

कुलसचिव


पृ.क्र./2094/अका./2017

बिलासपुर, दिनांक 25/08/2017

प्रतिलिपि:—

01. माननीय के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, विंग-2 हंस भवन, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक कुलसचिव(अका.)



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001.
फोन 07752-220031 फेक्स 07752-260294 ई-मेल registrar@bilaspuruniversity.ac.in
वेबसाइट: www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 2095 / अका. / 2017

बिलासपुर दिनांक 25/08/2017

प्रति,

अध्यक्ष, शासी,
कमला नेहरू महाविद्यालय,
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

विषय:- परिनियम-28 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय में नियुक्ति करने विषयक।

- संदर्भ:-1. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र. 178/स्था.प्रशा./2012, दिनांक 24.08.2012, पत्र क्र.133 / अका./2013, दिनांक 20.04.2013, पत्र क्र. 257/अका./2014, दिनांक 15.02.2014, पत्रक्र. 380/अका./2017, दिनांक 22.03.2014, पत्र क्र. 2017/अका./ 2015, दिनांक 12.05. 2015 एवं पत्र क्र.1387/अका./2017, बिलासपुर दिनांक 21.04.2017।
2. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र.1616/अका./2017, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्र क्र.1189/ अका./2017, दिनांक 16.06.2017।
3. विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक-1338/अका./2017 बिलासपुर, दिनांक 04-08-2017.

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके महाविद्यालय को बार-बार सूचित करने के बावजूद भी परिनियम-28 के प्रावधानानुसार प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराया गया। इस प्रकार की कृत्य शासन/एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय आदेश/निर्देशों के साथ ही सम्बद्धता की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

2/ विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 27/06/2017 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28/06/2017 में की गई अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों के विरुद्ध, प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2018 में प्रथम वर्ष के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की भी अनुशंसा की गई है। इस निर्णय से संदर्भित पत्र क्रमांक-03 के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है।


अतः विद्यापरिषद्/कार्यपरिषद् के उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आपके महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की सम्बद्धता पर सत्र 2018-19 से रोक लगाते हुये छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

—2—

१

यदि बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के सत्र 2018-2019 में आपके महाविद्यालय में संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय उन छात्र-छात्राओं की परीक्षा नहीं लेगा तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले वैधानिक कठिनाइयों की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,


(डॉ. इन्दु अनन्त)


कुलसचिव

पृ.क्र./ 2096/अका./2017

बिलासपुर, दिनांक 25/08/2017

प्रतिलिपि:-

01. माननीय के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, विंग-2 हंस भवन, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक कुलसचिव(अका.)



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुस्तकालय, बिलासपुर, छ.ग. 495001
फोन 07752-220031, फैक्स 07752-260294, ई.मेल registrar@bilaspuruniversity.ac.in,
बिलासपुर, www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 2097 / अका. / 2017

बिलासपुर दिनांक 25/08/2017

प्रति,

अध्यक्ष, शासी,
हसदेव एजुकेशन कॉलेज, आमापाली, तिलकेजा,
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

विषय:- परिनियम-28 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय में नियुक्ति करने विषयक।

- संदर्भ:-1. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र. 178/स्था.प्रशा./2012, दिनांक 24.08.2012, पत्र क्र.133 / अका./2013, दिनांक 20.04.2013, पत्र क्र. 257/अका./2014, दिनांक 15.02.2014, पत्र क्र. 380/अका./2017, दिनांक 22.03.2014, पत्र क्र. 2017/अका./ 2015, दिनांक 12.05. 2015 एवं पत्र क्र.1387/अका./2017, बिलासपुर दिनांक 21.04.2017।
2. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र.1616/अका./2017, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्र क्र.1189/ अका./2017, दिनांक 16.06.2017।
3. विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक-1336/अका./2017 बिलासपुर, दिनांक 04-08-2017.

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके महाविद्यालय को बार-बार सूचित करने के बावजूद भी परिनियम-28 के प्रावधानानुसार प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराया गया। इस प्रकार की कृत्य शासन/एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय आदेश/निर्देशों के साथ ही सम्बद्धता की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।


2/ विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27/06/2017 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28/06/2017 में की गई अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों के विरुद्ध, प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2018 में प्रथम वर्ष के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की भी अनुशंसा की गई है। इस निर्णय से संदर्भित पत्र क्रमांक-03 के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है।

अतः विद्यापरिषद्/कार्यपरिषद् के उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आपके महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की सम्बद्धता पर सत्र 2018-19 से रोक लगाते हुये छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

—2—

यदि बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के सत्र 2018-2019 में आपके महाविद्यालय में संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय उन छात्र-छात्राओं की परीक्षा नहीं लेगा तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले वैधानिक कठिनाइयों की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदर्शानुसार,


(डॉ. इन्दु अनन्त)

कुलसचिव


पृ.क्र./2098/अका./2017

बिलासपुर, दिनांक 25/08/2017

प्रतिलिपि:-

01. माननीय के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, विंग-2 हंस भवन, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक कुलसचिव(अका.)



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुस्तक हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001.
फोन : 07752-220031 फैक्स 07752-260294 ई-मेल registrar@bilaspuruniversity.ac.in
वेबसाइट www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक 2099 / अका. / 2017

बिलासपुर दिनांक 25/08/2017

प्रति,

अध्यक्ष, शासी,
एरिसेंट शिक्षा महाविद्यालय,
रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:- परिनियम-28 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय में नियुक्ति करने विषयक।

- संदर्भ:-1. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र. 178/स्था.प्रशा./2012, दिनांक 24.08.2012, पत्र क्र.133 / अका./2013, दिनांक 20.04.2013, पत्र क्र. 257/अका./2014, दिनांक 15.02.2014, पत्र क्र. 380/अका./2017, दिनांक 22.03.2014, पत्र क्र. 2017/अका./2015, दिनांक 12.05.2015 एवं पत्र क्र.1387/अका./2017, बिलासपुर दिनांक 21.04.2017।
2. विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्र.1616/अका./2017, दिनांक 18.05.2017 एवं पत्र क्र.1189/अका./2017, दिनांक 16.06.2017।
3. विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक-1334/अका./2017 बिलासपुर, दिनांक 04-08-2017.

---00---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके महाविद्यालय को बार-बार सूचित करने के बावजूद भी परिनियम-28 के प्रावधानानुसार प्राचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराया गया। इस प्रकार की कृत्य शासन/एन.सी.टी.ई. एवं विश्वविद्यालय आदेश/निर्देशों के साथ ही सम्बद्धता की शर्तों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

2/ विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 27/06/2017 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28/06/2017 में की गई अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों के विरुद्ध, प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2018 में प्रथम वर्ष के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की भी अनुशंसा की गई है। इस निर्णय से संदर्भित पत्र क्रमांक-03 के माध्यम से अवगत भी कराया जा चुका है।


अतः विद्यापरिषद/कार्यपरिषद के उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आपके महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की सम्बद्धता पर सत्र 2018-19 से रोक लगाते हुये छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

---2---

8

यदि बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के सत्र 2018-2019 में आपका महाविद्यालय में संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है तो विश्वविद्यालय उन छात्र-छात्राओं की परीक्षा नहीं लेगा तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले वैधानिक कठिनाइयों की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,


(डॉ. इन्दु अनन्त)


कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक 25/08/2017

पृ.क्र. / 2100 / अका. / 2017

प्रतिलिपि:-

01. माननीय के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, विंग-2 हंस भवन, 1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सहायक कुलसचिव(अका.)